तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
5.2.16	वकील अपीलार्थी उप० है। तलबी रस्पो० की ~~[illegible]~~ बरजिस्टर जा चुकी है। प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्ति रसीद पत्रावली दि० 25-2-16 को पेश हो। [initials]
25-2-16	वकील उभयपक्ष उप० हैं। रेस्पो० नं० 1 की ओर से श्री प्रकाशचन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। बहस हेतु पत्रावली दि० 12-3-16 को पेश हो। [initials]
12-3-16	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित हैं। उभयपक्ष के वकील प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने पर सहमत हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं० 45 दि० 2-11-87 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रति[...] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिख[...] जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्राव[...] फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बा[...] तकमील दाखिल दफ्तर हो। पालना हेतु तहसील[...] गंगापुर सिटी को लिखा जावे। [signature] (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी [signature] (गोरधन लाल शर्मा) सेवानिवृत तहसीलदार सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी [signature] (मुनिदेव[...]) अध्यक्ष[...] लोक अ[...] गंगापु[...] गंगापुर

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2014	13.02.2014	12.03.2016

अनिता पत्नि हंसराज पुत्री परभात्या उर्फ प्रसादी लाल जाति बेरवा निवासी ओन बिहार, पूनम कोलोनी, प्लाट नं0 3, कोटा जंक्शन ---अपीलार्थी

बनाम

1. मोत्या देवी बेवा परभात्या उर्फ प्रसादी लाल जाति बैरवा निवासी पुरोहितजी की टापरी, कोटा जंक्शन
2. सतीश पुत्र परभात्या उर्फ प्रसादी लाल जाति बैरवा निवासी पुरोहितजी की टापरी, कोटा जंक्शन ---रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 2.11.1987 ग्राम चूली

उपस्थितः— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की आर से
श्री प्रकाशचन्द शर्मा, एडवोकेट रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 की ओर से
श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थी के पिता एवं रेस्पोन्डेन्ट सतीश के पिता व रेस्पोन्डेन्ट मोत्या के पति परभात्या उर्फ परसादी लाल बैरवा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 577 रकबा 80 एयर, ख0नं0 615 रकबा 55 एयर ग्राम चूली में स्थित रही है। परभात्या का देहावसान दिनांक 15.6.77 को हो चुका है। परभात्या की विरासत की जांच किए बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 2.11.87 को तस्दीक कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय विरासत के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई । रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नामान्तरकरण खोल दिया गया जबकि अपीलार्थी मृतक प्रभात्या की पुत्री है इस कारण अपने पिता की सम्पत्ति में उसका अधिकार है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने के बाद विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पोन्डेन्ट सतीश ने अकेले अपने नाम करवा ली । अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही शुन्य आदेश की श्रेणी में आता है। यह नामान्तरकरण धोखाधडी से चालबाजी कर राजस्व कर्मचारियों से साज कर खोला गया है। इसमें नामान्तरकरण नियमों को पालना नहीं की गई है ना ही विवादित आराजी के मौके की जांच की गई है। दिनांक 6.11.2013 को अपीलार्थी ने अपनी मां से भूमि का बंटवारा कराने को कहा एवं पटवारी हलका के यहां भूमि की प्रविष्टियां देखी तो उन्होंने बताया कि भूमि सतीश के नाम लग गई है। इस पर स0माधोपुर आकर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की एवं जानकारी से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतःअपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे एवं अपने पिता की आराजी में अपीलार्थी का हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे।

अपील नामान्तरकरण के नाथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण सं0 45 दि0 2.11.87 पेश किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण तलब किया गया । रेस्पोन्डेन्ट नं0 1, 2, की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए ।

प्रकरण लोक अदालत में रखा गया। अपील पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण नियम विरूद्ध तस्दीक किया गया है जो निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के वकीलों ने अपनी बहस में कहा कि उन्हें अपील स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण का अवलोकन किया। अपील का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने स्वयं को मृतक परभात्या की पुत्री होना बताकर मृतक परभात्या की भूमि में उसका 1/3 हिस्सा होना बताते हुए कहा है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल रेस्पोन्डेन्ट नं0 1, 2 के नाम ही खोला गया है जो गलत है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में उसका 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। नियमानुसार अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सही होना प्रतीत होता है फलस्वरूप प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 2.11.87 ग्राम चूली निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे मामले में मृतक परभात्या के वारिसों की जांच कर उनके नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण एवं निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे। उभयपक्ष दिनांक 13.4.2016 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी